अध्याय–1–प्रस्तावना

1.1 कृपया हस्तपुस्तिका की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें (सूचना का अधिकार अधिनियम–2005)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत के तीनों स्तरों (ग्रामों /जनपद/जिला) पर सूचना का अधिकार लागू किया गया है । अन्य पंचायतों के द्वारा पारित प्रस्ताव, फेसलों और दस्तावेजों को देखने और उनकी प्रतिलिपि (कापी) प्राप्त करने का अधिकार सर्वमान्य को है ।

1.2 हस्तपुस्तिका का उद्देश्य ।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने तथा पंचायत से लेकर जिला पंचायत स्तर के क्रियान्वयन सर्वसामान्य तक पहुॅचाने हेतु ।

1.3 यह हस्तपुस्तिका किन व्यक्तियों/संस्थाओं/संगठनों इत्यादि के लिये उपयोगी है ।

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आम जनता तक ग्राम स्तर /जनपद स्तर एवं जिला स्तर से जुड़ी संस्थाओं द्वारा किये गये कार्यो को सर्वसाधारण तक पहुॅचाने में उपयोगी होगी।

1.4 हस्तपुस्तिका का प्रारूप ।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत शासन द्वारा निर्देशों के अनुरूप संचालित योजनाओं एवं उसके त्रिस्तरीय क्रियान्वयन को टेम्पलाट हेंडबेंक में समाहित किया गया है ।

1.5 परिभाषाएं (कृपया हस्तपुस्तिका में प्रयोग करी गयी शब्दावली को पारिभाषित करें)

हस्तपुस्तिका में कृतिदेव देवनागरी लिपि को सरल शब्दावली में परिभाषित किया गया है ।

1.6 हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिये संपर्क व्यक्ति ।

केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा हितग्राहीमूलक योजनाओं एवं रोजगारमूलक योजनाओं के ग्राम स्तर जनपद स्तर तथा जिला स्तर पर क्रियान्वयन एवं उनकी सर्वसाधारण को जानकारी प्राप्त करने का प्रावधान आवेदन देकर एवं वेबसाईट के माध्यम से किया गया है ।

17. हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क।

कोई भी व्यक्ति ग्राम स्तर/ जनपद स्तर / जिला स्तर पर क्रियान्वित योजनाओं से संबंधित जानकारी आवेदन देकर 10/– रू. फीस जमा कर प्राप्त कर सकता है । समस्त जानकारियों को Templete Handbook में दिये गये निर्देशों अनुरूप जिला पंचायत की बेवसाईट में उपलब्ध है । सभी नागरिक निर्धारित शुल्क 2/– रू. प्रति पृष्ठ जमा कर प्राप्त कर सकता है ।